## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 834/2023

अनवान : –

1. तिलोका राम पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. सुरेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः 5/2/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211/3795 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 78/73 की कुल 24.0350 हैक्ट में से 1/24 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 151/145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 126/120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281/5060 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों एवं पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उक्त वाद भूमि पर बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दे परन्तु वह आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है, जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयों व पिता के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211/3795 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 78/73 की कुल 24.0350 हैक्ट में से 1/24 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 151/145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 126/120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281/5060 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीाकर किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211/3795 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 78/73 की कुल 24.0350 हैक्ट में से 1/24 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 151/145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 126/120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281/5060 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/2/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 834/2023

अनवान : –

1. तिलोका राम पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. सुरेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 834 सन 2023 निर्णय दिनांक** – 05/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 100/96 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 211/3795 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 78/73 की कुल 24.0350 हैक्ट में से 1/24 हिस्सा एवं रोही मौजा 11 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 151/145 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 126/120 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 281/5060 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:11 IST
Reason: SelfAttested

# संशोधित पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 834 / 2023

अनवान : –

1. तिलोका राम पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. सुरेंद्र कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 834 सन 2023 निर्णय दिनांक 05.02.2024**

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र का संशोधन किया जाता है। शेष पर्चा डिक्री यथावत रहेगी।

यह संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:34:11 IST
Reason: SelfAttested